(५५)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 911–तीन/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–3–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 201/अपील/2014–15.

.....

1–प्रबोध कुमार पिता सायमन आदिवासी बारेला,
निवासी महू जिला इंदौर म0प्र0
2–राकेश कुमार पिता सायमन आदिवासी बारेला,
निवासी महू जिला इंदौर म0प्र0
3–अमित कुमार पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी महू जिला इंदौर म0प्र0
4–प्रभा पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी इंदौर जिला इंदौर
5–एडना पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी जयपुर हा0मु0महू जिला इंदौर
6–मालिनी पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी महू जिला इंदौर
7–श्वेता पिता सायमन आदिवासी बारेला
निवासी महू जिला इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–काशीराम पिता मांगीलाल काक्षी,
निवासी बडवानी चॉदशॉ मोहल्ला बडवानी
2–प्रेमसिंह पिता रजान पटेल
निवासी साईनाथ कॉलोनी बडवानी

.....अनावेदकगण

श्री शंतानु वक्ते, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री विजय जाट, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–3–2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार बडवानी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि करबा बडवानी स्थित भूमि सर्वे नम्बर 409 रकबा 20.35 एकड़, सर्वे नम्बर 357/3 रकबा 0.13 एकड़ के अंश भाग 0.809 हेक्टेयर पर वर्तमान में अनावेदक का कब्जा है और उनके द्वारा ऐसा कोई वर्तमान में अनावेदकगण का कब्जा है और उनके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि भूमि का अन्तरण सद्भाविक है । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 02/अ–23/2010–11 दर्ज कर दिनांक 5–12–2014 को आदेश पारित कर प्रकरण संहिता की धारा 170(ख) के अन्तर्गत जॉच की परिधि में नहीं आने से नस्तीबद्ध किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई और कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–2–15 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 31–3–2015 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील प्रचलन योग्य नहीं होने से निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 28–8–1978 में यह स्वीकार किया गया है कि आवेदकगण संहिता की धारा 165(6) के अन्तर्गत आदिवासी है और आदिवासी की भूमि गैर–आदिवासी को विकय करने के लिये कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है, जो कि नहीं ली गई है, ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि का अन्तरण अवैध है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा की जॉच रिपोर्ट को दरकिनार करते हुये आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) आवेदकगण द्वारा क्रिश्चियन धर्म अपना लेने से उसकी जाति नहीं बदलती है क्योंकि क्रिश्चियन जाति नहीं होकर धर्म है ।

(4) प्रश्नाधीन भूमि का अन्तरण आवेदकगण की जाति छिपाकर किया गया है जबकि संहिता की धारा 170(ख) के प्रावधान आदिवासी की भूमि मुक्त कराकर उन्हें वापिस दिलाये जाने के लिये किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 145/1979–80 में दिनांक 27–2–81 को अनावेदकगण के पक्ष में आदेश पारित किया है जिसे चुनौती नहीं दिये जाने से वह अंतिम हो गया है, इसलिये प्रकरण में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होता है ।

(2) आवेदकगण के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में भूमि विकय करने के पश्चात् आवेदकगण झूठी शिकायत करने के आदी हो चुके है और लालचवश भोलवाले केताओं को परेशान कर रहे हैं, इसलिये निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदकगण द्वारा विकय पत्र में अपनी जाति ईसाई बताई है और यह भी उल्लेख किया गया है कि संहिता की धारा 106 व 170(ख) का उल्लघंन नहीं होता है और इस संबंध में कोई आपत्ति ली है तो वह शून्यवत् मानी जायेगी, इस झूठे आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण जॉच उपरांत आदेश पारित किया गया है जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर के यहॉ मात्र 8 दिन के विलम्ब से आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को समय बाह्य माना गया है । आवेदक ने अपने समय सीमा से छूट के धारा 5 के आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र भी दिया था तथा प्रथमदृष्टया आवेदक आदिवासी पक्षकार है । अतः उसके द्वारा दिये गये शपथपत्र के प्रकाश में कलेक्टर को सद्भाविक विलम्ब मानकर छूट देनी चाहिये थी अतः इस प्रकरण में विधिक एवं न्यायिक आवश्यकता

है कि कलेक्टर का आदेश द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे उनके समक्ष प्रचलित अपील को समयसीमा में मान्य कर उभयपक्ष को सुनकर गुणदोष पर आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में गुणदोष पर निराकरण करने हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर